न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—474 सन् 2002

बद्री पंडित.....वादी

बनाम

अध्यक्ष जिला परिषद छपरा .....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 28.06.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.10.2019 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में वादी अपने मोकदमे में सबूत के तौर पर अंचलाधिकारी दिघवारा का आदेश दिनांक 21.01.1985 की सच्ची प्रतिलिपि न्यायालय में विलंब से दाखिल कर रहा है। चूंकि वादी को उक्त कागजात घर में रखा पुराना बक्शा से प्राप्त हुआ है। वादी द्वारा दाखिल कागजात को विलंब माफ करते हुए स्वीकार करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल कागजात को विलंब माफ करते हुए स्वीकार करने की कृपा की जाए।

उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी ने अपने मोकदमे में सबूत के तौर पर अचंलाधिकारी दिघवारा का आदेश दिनांक 21.01.1985 की सच्ची प्रतिलिपि न्यायालय में दाखिल किया है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः वादी की ओर से दाखिल उपर्युक्त कागजात को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक ..... को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।